

27/28(0)



27-28

भूमिका का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

मा. 50]

नई दिल्ली, शनिवार, विसंवर 10, 1994/अग्रहायण 19, 1916

No. 50]

NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 10, 1994/AGRAHAYANA 19, 1916

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वी आती है जिससे इक यह अपग्रेड संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालय (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (तथा राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर)
द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किये गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के
आवेदन, उपनियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general
Character) issued by the Ministries of the Government of India (other
than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other
than the Administration of Union Territories)

मत्रिमंडल सचिवालय

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 1994

मा. का. नि. 602 — राज्यपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मत्रिमंडल सचिवालय में पुस्तकालय एवं गूचना सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने हैं, अर्थात् —

1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मत्रिमंडल सचिवालय (पुस्तकालय एवं गूचना सहायक) भर्ती नियम, 1994 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगे।

2 पद संघारा, वर्गीकरण और वेतनमान उक्त पद की संघारा, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों में उपावर्द्ध ग्रन्तिसूची के स्तर 2 से स्तर 4 में विनिर्दिष्ट है।

3 भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उसमें स्वधिसंभव यन्य बाने वे होंगी जो पूर्वोत्तर ग्रन्तिसूची के स्तर 5 से स्तर 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4 निरहेता वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीनित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित होने हुए किसी अकिञ्चन से विवाह किया है, उस पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 1994

स. का. नि. 613 — राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रश्ना गवियों का प्रोग करने हुए और एवना और प्रमाणग मंत्रालय, आकाशवाणी वग 3 पद भर्ती नियम, 1964 को, जहां तक उनका संबंध लिपिक श्रेणी—2/टेलीप्रिटर प्रनालक/टेलीफोन परिचर/सारणीकार लिपिक/हिन्दी भाषा टाईपिस्ट, प्रधान लिपिक/लखाकार/ज्येष्ठ भाषारी, लिपिक श्रेणी—1/भड़ारी के पदों से है। उन नामों के मिवाय अधिकार करने हुए जिन्हें ऐसे अधिकारण से पहले इया गया था करने का लोग किया गया है, आकाशवाणी और दूरदर्शन में सभूह "ग" पदों पर भर्ती की पढ़नि का विनियमन राजने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अधीत।—

1. मधिष्ठन नाम और प्राप्तम् (1) — इन नियमों का संधिष्ठन नाम आकाशवाणी समह "ग" पद भर्ती नियम, 1994 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगे।

2. पद मछला, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पदों की मछला, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो हन नियमों दे उत्तरद्वारा अनुमूली के स्तरम् 2 से स्तरम् 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पढ़नि, आयु-मीमा यत्य अहेताएं, आदि उक्त पदों पर भर्ती की पढ़नि, आयु-मीमा, अर्नेताएं आर उनसे सबधित यत्य दाते वे होंगी जो उक्त अनुमूली के स्तरम् 5 से स्तरम् 14 से विनिर्दिष्ट है।

4. नियमेताएं — वह व्यक्ति —

(क) जिनमें ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह दिया है, या

(ख) जिनमें अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होने हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियमित का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाना है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के ग्रन्थ पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञा है और ऐसा करने के लिए अन्य ग्राधार हैं तो वह उप व्यक्ति जो इस नियम के प्रवर्तन से छुट दे सकेगी।

5. शिक्षित करने की प्रक्रिया : जहां केन्द्रीय सरकार की यह गय है कि ऐसा करना आवश्यक या सभीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपवाह को निमी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिक्षित कर सकेगी।

6. अवृत्ति — इन नियमों की कोई वान, ऐसे आरक्षण, आयु-मीमा एवं और प्रत्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में गम्य-समय पर निकाले गए ग्राहकों के अनुग्राम अनुगूचित जातियों, अनुशूचित जनजातियों/भूतूर्धे सीतियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपवाह करना अनिवार्य है।

अनुमूली

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | चयन पद | गेवा में जोड़े गए वर्षों का | सीधे भर्ती किए जाने वाले |
|-----------|----------------|----------|---------|--------|---|-------------------------------|
| नियमिक/ | टेलीप्रिटर/ | प्रनालक/ | टेलीफोन | पद | प्रथमा अन्यथा कानूनदार केन्द्रीय सिविल सेवा (पेशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुग्राम | व्यक्तियों के लिए ग्रायु-मीमा |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------------------------|--------------------|---------|---------|----------------------|---|------|
| 1. नियम श्रेणी 2286*(1994) | माध्यमिक केन्द्रीय | 950-20- | शब्दालय | 18 से 25 पर्य के बीच | | नहीं |

1 2 3 4 5 6 7

निपिक/हिन्दी
भाषा टाईपिस्ट

अनुसूचित जनजाति के अध्ययनों की दशा में 45 वर्ष तक की जा सकती है।
 टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णयिक तारीख भारत में अध्ययनों में आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो अमम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर, राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्थान जिले तथा झम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अध्ययनों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित परिवेश की अवधि आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्तन व्यक्तियों की दशा में यदि कोई हो। जाग होगी या नहीं।

8 9 10
 1 किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से मैट्रिक्युलेशन या समत्वम् परीक्षा आयु : नहीं परिवेश की अवधि
 में या हिन्दी या संविग्रह की आठवीं अनुसूची अर्हता हां अपेक्षित अर्हता होइ हो।

2. अंद्रेजी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट की गति में या हिन्दी या संविग्रह की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध किसी भाषा में 25 शब्द प्रति मिनट की गति में टंकण का ज्ञान।

टिप्पण : 1. अर्हताएँ अन्यथा मुग्रहित अध्ययनों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण : 2. अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएँ) कर्मचारी चयन आयोग के विवकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अध्ययनों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (है) जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह गति है कि उनके लिए आवधित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अध्ययनों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्तनि द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्तनि/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनमें प्रोन्तनि/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा

क. 90 प्रतिशत कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।
 ख. 5 प्रतिशत अयोग्य व्यक्तियों को यांत्रिकार किए जाने के अधीन रहने की आधार पर प्रोन्तनि द्वारा।
 ग. 5 प्रतिशत सीमित विभागीय प्रतिशेषिता परीक्षा के

क. 5 प्रतिशत रिक्तियों पर प्रोन्तनि अयोग्य व्यक्ति को अस्थीकार किए जाने के अधीन रहने हुए ज्योठना के आधार पर :

(1) आकाशवाणी/दूरदर्शन के ऐसे समूह 'घ' कर्मचारियों में में जिन्होंने समूह "घ" पदों पर 9 वर्ष नियमित सेवा की है।

11

12

कांडा वर प्रोन्नति द्वारा।

टिप्पणी: उपरोक्त व्र और ग मे उन्निवेश 10 प्रतिशत
(5+5) कोटा प्रगले भर्ती वर्षों के लिए अवश्यकीय नहीं किया
जाएगा।

(ii) 5 प्रतिशत रिक्तियों पर प्रोन्नति समिति विभागीय प्रतियोगिता के आधार पर:

य. 5 प्रतिशत रिक्तियों पर प्रोन्नति सीमित विभागीय प्रतियोगिता के आधार पर:

आकाशवाणी/दूरदर्शन के ऐसे समूह "व" कर्मचारियों में से जिन्होंने पांच वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास स्थाभ ४ मे विहित शैक्षिक ग्रहण है, सीमित विभागीय परीक्षा मे बैठने के पात्र होंगे।

टिप्पणी:- ऐसे विद्यमान पदधारी जो लिपिक श्रेणी - २ टेलीप्रिटर/प्रचालक/टेलीफोन परिचार/सारणीकार लिपिक/हिन्दी भाषा टाइपिस्ट के पद पर प्रोन्नति के लिए नियमित आधार पर पोषक श्रेणी में पद धारण किए हुए हैं, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को प्रोन्नति के लिए पात्र बने रहेंगे।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संख्या

भर्ती करने मे किन परिस्थितियों ने संघ लोक सवा अधियोग से परामर्श किया जाएगा।

13

14

विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति/पुष्टि के संबंध मे विचार करने के लिए)

1. केन्द्र अध्यक्ष - अध्यक्ष

2. सहायक केन्द्र निवेशक/सहायक केन्द्र इंजीनियर/कार्यक्रम कार्यशालक/सहायक इंजीनियर - सभस्य

1

2

3

4

5

6

7

2. उच्च श्रेणी 1065* (1994) साधारण केन्द्रीय 1200-30- अच्यन नहीं लागू नहीं होता
लिपिक/भारती *कार्यभार के सेवा, समूह "ग" 1560-द.

आधार पर परि- अराजपत्रित रो. 40-

वर्तम किया जा अननुसंचितीय 2040 रु.

सकता है।

8

9

10

लागू नहीं होता

लागू नहीं होता

लागू नहीं होता

11

12

(क) 80 प्रतिशत अयोग्य व्यक्ति को अस्वीकार किए जाने के अधीन रहते हुए ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा
(ख) 20 प्रतिशत सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर प्रोन्नति द्वारा

अयोग्य व्यक्ति को अस्वीकार किए जाने के अधीन रहते हुए ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति :—

आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्र/स्टेशनों/कार्यालयों में कार्यरत ऐसे निम्न श्रेणी लिपिकों में से प्रोन्नति, जिन्होंने १५०-२०-

1150-द. रो.-25-1500 रु. के वेतनमान में आठ वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण : विद्यमान पदधारी जो सिपिक श्रेणी/भंडारी के पद पर प्रोन्नति के लिए नियमित श्राधार पर पोषक श्रेणी में पद धारण किए हुए हैं, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को प्रोन्नति के लिए पात्र बने रहेंगे।

(ख) सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के श्राधार पर प्रोन्नति :—
आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्र/स्टेशन/कार्यालयों में कार्यरत ऐसे निम्न श्रेणी लिपिकों में से जिन्होंने 950-20-1150-द. रो.-25-1500 रु. के वेतनमान में 5 वर्ष नियमित सेवा की है।

विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए)

लागू नहीं होता

1. आंचलिक अध्यक्ष — अध्यक्ष
2. अंचल में आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्र का उपेष्ठतम इजी-नियर या उपेष्ठतम केन्द्र निदेशक — सदस्य
3. उपेष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/उपेष्ठ प्रशासनिक अधिकारी की प्रतुपस्थिति में प्रशासनिक अधिकारी — सदस्य

1

2

3

4

5

6

7

| | | | | | |
|----------------------------------|------|--------------------------------|----------------------|------|------|
| 3. प्रधान लिपिक/ लेखाकार/ (1994) | 316* | साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" | 1400-40-1800-द. रो.- | अचयन | नहीं |
| ज्येष्ठ भंडारी | | प्रराजपत्रित | 50-2300 रु. | | |
| | | मननुसंचयीय | | | |

18 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए प्रतुपस्थित या आवेदनों के प्रतुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण प्रभ्यायियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक और प्रतुसूचित जाति/प्रतुसूचित जनजाति के प्रभ्यायियों की दशा में 45 वर्ष तक की जा सकती है।

टिप्पण :—श्राव्युसीमा अवधारित करने के लिए निर्णयिक तारीख भारत में प्रभ्यायियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम,

मेघालय, असमाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, खिंपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लहाड़ छंड, हिमाचल प्रदेश के साहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले से पांची उप-छंड, अंदमान और निकोबार ह्लीप या लक्ष्मीप के अधिकारियों के लिए विहित की गई है)

8

6

10

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य।
टिप्पण :—मर्हताएं अन्यथा सुमर्हित की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवकानुसार शिथिल की जा सकती है।

नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले अधिकारियों के लिए दो वर्ष

11

12

- (क) 60 प्रतिशत अर्धोंग्रथ व्यक्ति को अस्वीकार किए जाने के अधीन रहते हुए उपेष्ठता के आधार पर प्रोत्साहित द्वारा।
- (ख) 20 प्रतिशत सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा
- (ग) 20 प्रतिशत कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

- (क) अर्योग्य व्यक्ति को अस्वीकार किए जाने के अधीन रहते हुए उपेष्ठता के आधार पर प्रोत्साहित :
- आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों/स्टेशनों/कार्यालयों में कार्यरत ऐसे निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों में से जिन्होंने अपनी अपनी श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है।
- (क) 1200-30-1500-द. रो.-40-2040 रु. के वेतनमान में उच्च श्रेणी लिपिक/भंडारी।
- (ख) 1200-30-1440-द. रो.-30-1800 रु. और 1200-30-1560-द. रो.-40-2040 रु. के वेतनमान में केयर-टेकर
- (ग) 1200-30-1560-द. रो.-40-2040 रु. और 1350-30-1440-40-1800 द. रो.-50-2200 रु. के वेतनमान में कनिष्ठ स्वागत अधिकारी
- (ख) सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों/स्टेशनों/कार्यालयों में कार्यरत ऐसे निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों में से जिन्होंने अपनी अपनी श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है।
- (क) 1200-30-1500-द. रो.-40-2040 रु. के वेतनमान में उच्च श्रेणी लिपिक/भंडारी

SCHEDULE

| Name of the post | Number of post | Classification | Scale of pay | Whether selection post or non-selection post | Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 |
|---|--|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Lower Division Clerk Teleprinter Operator Telephone Attendant/ Tabulator Clerk/ Hindi Language Typist | 2286* (1994) *Subject to variation dependent on work load. | General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial | Rs. 950-20-1150-EB-25-1500 | Non-selection | No |
| Age limit for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotee | Period of probation if any | | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| Age : Between 18 and 25 years (relaxable in case of Government servants upto 40 years in case of general candidates and upto 45 years in respect of Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidates in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). | 1. Matriculation or an equivalent examination from a recognised Board/University: 2. Knowledge of typing at a speed of 30 words per minute in English or 25 words per minute in Hindi or in any other language listed in the English Schedule of the Constitution. Note 1.—Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2.—The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. | Age : No Educational qualification : Yes. | Two years | | |
| Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion, or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation transfer to be made | If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| A. 90% by direct recruitment through Staff Selection Commission; B. 5% by promotion on the basis of seniority subject to the rejection of the unfit; | A. Promotion to the 5% vacancies on the basis of seniority subject to the rejection of the unfit; (i) From amongst Group 'D' employees of All India Radio/Doordarshan having nine | Departmental Promotion Committee (for considering Promotion/confirmation); 1. Station Head—Chairman 2. Assistant Station Director/ Assistant Station Engineer/ | | | |

C. 5% by promotion on the basis of limited departmental competitive examination.

Note.—The 10% quota (5+5) at B and C above shall not be carried forward to the next recruitment years.

years regular service in Group 'D' posts; and

(ii) possessing the educational qualifications prescribed in column 8.

B. Promotion to the 5% vacancies on the basis of limited departmental competitive examination : From amongst Group 'D' employees of All India Radio/Doordarshan with five years regular service and possessing the educational qualification prescribed in column 8 shall be eligible to appear in the limited departmental examination.

Note.—The existing incumbents holding the feeder grade posts on regular basis for promotion to the post of Clerk Grade II/ Teleprintar Operator/Telephone Attendant/Tabular Clerk/Hindi/ Langage Typist shall continue to be eligible for promotion on the date of publication of this notification.

Programme Executive/Assistant Engineer—Member

3. Administrative Officer—Member

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------------------------------|---|--|----------------------------------|---------------|----|
| 2. Upper Division Clerk/Store Keeper | 1065* (1994) *Subject to variation dependent on work load. | General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial | Rs. 1200-30-1560- EB-40-2040. | Non-Selection | No |

| 7 | 8 | 9 | 10 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable |

| 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|----|----|----|
|----|----|----|----|

- (a) 80% by promotion on the basis of seniority subject to the rejection of the unit;
- (b) 20% promotion on the basis of limited Departmental Competitive Examination.

A. Promotion on the basis of seniority subject to the rejection of the unit : Promotion from amongst Lower

Departmental promotion Committee (for considering promotion and confirmation)

Zonal Head—Chairman
2. The Seniormost Engineer or Seniormost Station Director of All India Radio Station/Doordarshan Kendra in the Zone

—Member

3. Senior Administrative Officer/ Administrative Officer in the absence of Senior Administrative Officer—Member

Note :—The existing incumbents holding the feeder grade post on regular basis for promotion to the post of Clerk Grade-I/ Store Keeper shall continue to be eligible for promotion on the basis of publication of this notification.

B. Promotion on the basis of limited Departmental Competitive Examination. From amongst Lower Division Clerks working in All India Radio /Doordarshan Kendra, Station/Offices having five years regular service in the grade of Rs. 950-20-1150-EB-25-1500.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|--|----------------------------------|---------------|----|
| 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 3. Head Clerk/ Accountant/ Senior Store Keeper. | 319* (1994) *Subject to variation dependent on work load. | General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial | Rs. 1400-40-1800- EB-50-2300. | Non-Selection | No |

Between 18 and 25 years
(relaxable in case of Government ser-
vants upto 40 years in case of general
candidates and upto 45 years in re-
spect of Scheduled Caste/Scheduled
Tribes candidates in accordance with
the instructions or orders issued by
the Central Government)

Note : The crucial date for determin-
ing the age-limit shall be the closing
date for receipt of applications from
candidates in India (and not the clos-
ing date prescribed for those in Assam,
Meghalaya, Arunachal Pradesh,
Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura
Sikkim, Ladakh Division of Jammu &
Kashmir State, Lahaul and Spiti district
and Pangi Sub-division of Chamba
district of Himachal Pradesh, Andaman &
Nicobar islands or Lakshadweep).

Degree or equivalent of a recognised
University.
Note : Qualifications are relaxable
at the discretion of the Staff Selec-
tion Commission in case of candida-
tes otherwise well qualified.

No

Two years for
direct recruits.

| 11 | 12 | 13 | 14 |
|--|--|--|-----------------|
| (A) 60% by promotion on the basis of seniority subject to the rejec- tion of the unfit. (B) 20% by limited departmental competitive examination. (C) 20% by direct recruitment through Staff Selection Commission. | A. Promotion on the basis of senio- rity subject to the rejection of the unfit. From amongst the following grades of employees working in All India Radio/Doordarshan Kendras Stations Officers with five years regular service in their respective grade: (a) Upper Division Clerk/Store Keepers in the scale of Rs. 1200-30-1500- EB-40-2040. (b) Caretakers in the pay scale of Rs. 1200-30-1440-EB-30-1800 and Rs. 1200-30-1560-EB-40-2040; and (c) Junior Reception officers in the pay scale of Rs. 1200-30-1560 EB- 40-2040 and Rs. 1350-30-1440-40- 1800-EB-50-2200. B. Promotion on the basis of limited departmental competitive examina- tion ; From amongst the following grades of employees working in All India Radio/Doordarshan Kendras Stations/offices with three years regular services in their res- pective grade : (a) Upper Division Clerks/ Store Keepers in the scale of Rs. 1200-30-1500-EB-40-2040. (b) Caretakers in the pay scales of Rs. 1200-30-1440-EB-30- 1800-and Rs. 1200-30-1560 EB-40-2040; and | Group 'C' Departmental Promo- tion Committee (for considering promotion and confirmation). 1. Zonal Head —Chairman 2. The Seniormost Engineer or seniormost Station Director of all India Radio Station in Zone—Member 3. Senior Administrative Officer/ Administrative officer— Member. 4. Deputy Director of Administra- tion of All India Radio/Doordarshan Kendra in the Zone.— Member | Not applicable. |

11

12

13

14

(c) Junior Reception officers in the pay scale of Rs. 1200-30-1560-EB-40-2040 and Rs. 1350-30 1440-40-180 EB-50-2200.

Note.—The existing incumbents holding the feeder grade posts on regular basis for promotion to the post of Head Clerks/Accountant/Senior Storekeepers shall continue to be eligible for promotion on the date of publication of this notification.

[No.10/43/92-S-II/B (A)]
VIJAY SHARMA, Under Secy.